



College of Agriculture
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Pathredi, Kotputli-303107

No. F ()/COA/KTP/2026/3 |

Date: 11.06.2026

कार्यदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी खुली निविदा क्रमांक एफ ()/फार्म/कृ.म./कोटी.पी./2026/255 दिनांक 02.06.2026 के संदर्भ में आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष (12.06.2026 से 11.06.2027 तक) होगी, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में कार्यलय के कार्य, चौकीदारी, साफ-सफाई, कृषि फार्म और इनसे संबंधित अन्य कृषि कार्यों हेतु उच्चकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की निविदानुसार Anand Manpower Services, Lalsot, Dausa को कमेटी की अनुषंशा के आधार पर कार्य करने की अनुमति निम्न दरों के अनुसार दी जाती है।

क. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		प्रतिदिन	प्रतिमाह					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1. अकुशल	285/-	7410/-	285/-	37.05	9.26	0.5%	331.81/-
	2. अर्ध कुशल	297/-	7722/-	297/-	38.61	9.65	0.5%	345.76/-
	3. कुशल	309/-	8034/-	309/-	40.17	10.04	0.5%	359.71/-
	4. उच्च कुशल	359/-	9334/-	359/-	46.67	11.66	0.5%	417.83/-

निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिक, अधिकारी/कर्मचारी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। अगर श्रमिक का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा। ठेकेदार के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा। श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु आपको पूर्व में सूचित कर दिया जावेगा। श्रमिक उपस्थिति रजिस्टर में मनोनीत व्यक्ति द्वारा श्रमिकों की संख्या पर हस्ताक्षर करने होंगे।

- भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा। कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
- यदि ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य सम्पादन नहीं कराने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुना तक श्रमिक लगाकर पूर्ण करायेंगे। जिसको भुगतान ठेकेदार द्वारा जमानत की जमा राशि में से किया जावेगा। अगर श्रमिक आपूर्ति समय पर न करने तथा समय पर कार्य को सम्पादन न करने पर ठेकेदार को भविष्य में ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा एवं अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ट्रेक्टर द्वारा कार्य करने हेतु ड्राइवर के पास वाहन चलाने का लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
- ठेकेदार को निविदा में दी गयी सभी शर्तें माननी होगी।
- श्रमिक मजदूरी के बिल प्रत्येक माह की 05 तारीख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसके साथ ही विगत माह के बिलों के अनुसार भुगतान किया गया ई.पी.एफ./ ईएसआई चालान की प्रति व श्रमिक भुगतान की बैंक ट्रांसफर शीट / नेफत/आरटीजीएस/ईएसआई कार्ड की प्रति बिलों के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा बिल कोष कार्यालय में स्वीकार नहीं होंगे।
- अन्य शर्तें एवं नियम RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।
- विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर राशि रु 500/-प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- श्री Anand Manpower Services, Lalsot, Dausa
- लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली।
- रक्षित पत्रावली।

DEAN
C.O.A., Kotputli
Distt-Kotputli-Behror

DEAN
C.O.A., Kotputli
Distt-Kotputli-Behror